क्रमांक पी.एन.डी.टी-11/ 71

प्रेषक दिनांक 10-2-2012

समुचित प्राधिकारी एवं
सिविल सर्जन, सोनीपत ।

सेवा में

निदेशक
भगत फूल सिंह राजकीय
महिला मैडिकल कालेज
खानपुर कलां

विषय: पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994 के अन्तर्गत पंजीकरण बारे ।

उपरोक्त विषय पर आपकी संस्था के पंजीकरण बारे आपको सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को पंजीकृत कर लिया गया है । पंजीकरण प्रमाण पत्र दोहरी प्रतियों में साथ सलंग्न किया जा रहा है । एक प्रति उचित स्थान पर डिस्प्ले की जानी है एवं दूसरी प्रति फाईल में रखी जानी है ।

आपने निम्न निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करना है:-

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र को उचित स्थान पर डिस्प्ले करना है ।
2. पीएनडीटी एक्ट 1994 एवं संशोधित नियम 2003 की प्रति आपकी संस्था में हर समय उपलब्ध होनी चाहिए एवं सभी गतिविधियां एक्ट एवं नियमों के अनुसार की जानी हैं ।
3. सभी अल्ट्रा साउन्ड का रिकार्ड एक रजिस्टर में निर्धारित प्रोफार्मे पर रखा जाना चाहिए ।
4. सभी प्री नेटल महिलाओं का रिकार्ड फार्म 'एफ़' में रखा जाना है व सभी फार्म 'एफ' सीरियल बाउण्ड रजिस्टर में होने चाहिये ।
5. सभी प्री- नेटल केसिज की रिपोर्ट आपके रिकार्ड में उपलब्ध होनी चाहिये
6. निर्धारित नीले रंग का 3 गुणा 2 फुट का बोर्ड जिसमें सफेद शब्दों में निम्न वक्तव्य लिखे हों, आपकी संस्था में डिस्प्ले होना चाहिए:-

संस्था का नाम
पता

यहां पर प्रसव पूर्व लिंग (पैदा होने से पहले लड़का या लड़की) की जांच नहीं की जाती, यह दण्डनीय अपराध है ।

Here prenatal sex determination (Boy or Girl before Born) is not done. It is punishable Act-

7. किये गये अल्ट्रासाउण्ड की मासिक रिपोर्ट इस कार्यालय में हर मास की 5 तारीख तक प्रेषित की जानी चाहिये ।
8. समुचित प्राधिकारी या उसका कोई भी प्रतिनिधि आपकी संस्था का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है उसे सभी प्रकार के रिकार्ड उपलब्ध करवाएं जाऐं एवं जानकारी दी जाए ।
9. अल्ट्रासाउण्ड मशीन के इन्सटाल होते ही इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दें । पी.एन.डी.टी एक्ट 1994 व संशोधित नियम 2003 की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार कार्यवाही करें ।

किसी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिये निम्न हस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

APPROPRIATE AUTHORITY
समुचित प्राधिकारी एवं
सिविल सर्जन,सोनीपत ।

3/11/11